125

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

पुनरीक्षण क्रमांक R.5041-II/2016

Rs. 20/-

बृजलाल प्रसाद मिश्रा, उम्र 62 वर्ष, तनय स्व. श्री रामखेलान मिश्रा, पेशा खेती, निवासी ग्राम बैजनाथ, पोस्ट भोलगढ़, तहसील हुजूर, (म.प्र.)

.... पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

विरुद्ध

1. जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड, नौबस्ता रीवा, जिला रीवा, (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर रीवा, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... गैर पुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदकगण

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी एड के द्वारा आज दिनांक 27-1-16 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं विरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा, संभाग रीवा, (म.प्र.) दिनांक 11.12.2015, जो प्र.क्र. 279 / अपील / 2015–16 में पारित।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.12.2015 सर्वथा विधि विधान तथा न्यायिक प्रक्रिया तथा सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में उठाये गये किसी बिन्दु पर विचार नही किया गया, पत्रावली बुलाये बिना अपील दायरा के बिन्दु पर निरस्त किया गया जो सम्पूर्ण कार्यवाही व आदेश अधिकार विहीन है।

3. अपील संक्षिप्ततः इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि अनुविभागीय ... 07 में पारित आदेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी– 5041–दो/16 जिला –रीवा

न तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी उपस्थित। श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा यह प्रकरण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 279/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2015 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा –50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 11.12.15 का आदेश विधि विधान तथा न्यायिक प्रकिया तथा सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्त करने का निवेदन किया है। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि उठाये गये किस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया पत्रावली बुंलाये बिना अपील दायरा के बिन्दु पर निरस्त किया गया है जो संपूर्ण कार्यवाही व आदेश अधिकार विहीन है। आवेदक ने अपने तर्क में आगे कहा है कि आवेदक को न ही पक्षकारी बनाया और न ही उसे सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है। अतः आवेदक की प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर उचित आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है। 3–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने । तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसीलदार के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के प्रकरण	

कमांक 5/अ-6अ/06-07 में पारित आदेश दिनांक 19.10.06 का पालन कराया गया है। अलग से कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील खारिज की गई है और इस आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त रीवा द्वारा की गई है। अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है। निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर ही अग्राह् की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य